खण्ड – 5 संख्या – 22

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शनिवार, तिथि 20 सितम्बर, 1986 ई०

नवम् बिहार विधान-सभा

संख्या-22 पंचम-सत्र

(शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 1986)

अध्यक्ष, प्रो० शिव चन्द्र झा के सभापतित्व में सभा की बाईसवीं बैठक प्रारम्भ हुई :

(समय : ९.१० बजे पूर्वाह्न से ६.३० बजे अपराह्न तक)

1. बिहार विधान-परिषद से प्राप्त संदेश :

बिहार विधान-सभा के सचिव ने बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त निम्न संदेश सदन में पढ़ा :

"बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को, जो बिहार विधान-सभा में उद्भूत तथा सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को पारित हुआ था, बिहार विधान-परिषद ने दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को सिफारिश के साथ पारित किया । बिहार विधान-परिषद बिहार विधान-सभा से यह अनुरोध करता है कि वह इस सिफारिश पर विचार करे तथा अपनी सहमति प्रदान करे ।"

2. विधायी कार्य : राजकीय विधेयक :

1. बिहार विधान-सभा में उद्भूत तथा सभा द्वारा पारित बिहार विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 में बिहार विधान-परिषद् ,द्वारा की गई सिफारिश पर विचार :

कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना के बाद इनके अनुभव के आधार पर इन्हें कम्प्यूटर निदेशालय में पदस्थापित किया गया जहाँ अभी कार्यरत है । ये कम्प्यूटर कार्य में पूर्णरुप से प्रशिक्षित हैं तथा जिलों मे जाकर पदाधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं । अत: इसके अनुभव के आधार पर निदेशालय की हित में अन्यत्र पदस्थापित नहीं किया जा रहा है ।

श्री प्रसाद का स्थानान्तरण :

2971. श्री मो0 मुश्ताक : क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि सुन्द्रिका प्रसाद, आरक्षी संख्या 5351 गत बारह वर्षों से केन्द्रीय वस्त्र भंडार फुलवारी शरीफ, पटना में पदस्थापित हैं;

2. क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद जब सरकारी सेवा में नहीं थे तो मात्र दो कठ्ठा जमीन था और सरकारी सेवायें में आये तो अवैध ढ़ंग से धन अर्जन कर पटना स्थित मंदिरी महल्ला में पत्नी के नाम से जमीन खरीद कर दो मंजीला मकान एवं घर पर दस बीघा जमीन खरीदा है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री प्रसाद जो अनुमान से अधिक सम्पत्ति अर्जन किये हैं इसकी जाँच कराकर श्री प्रसाद का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?

श्री बिन्देश्वरी दूबे : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । दरअसल में नालन्दा

जिला में पदस्थापित हैं। किन्तु 1985 से ए०आई०जी०क्यू० के नियंत्रण में केन्द्रीय वस्त्र भंडार में प्रतिनियुक्त हैं ।

2. पुलिस मुख्यालय में उनकी सम्पत्ति के विषय में कोई सूचना नहीं है ।

3. सम्पत्ति के विषय में आवश्यक जाँच करायी जा रही है ।

जहाँ तक स्थानान्तरण का प्रश्न है इन्हें मूल स्थान नालन्दा वापस कर दिया गया है ।

श्री लाल के विरुद्ध कार्रवाई :

2972. श्रीमती हेमलता यादव : क्या मंत्री, निगरानी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि कोशी योजना पश्चिमी तटबन्ध (डिबीजन निर्मली, जिला सहरसा) के कार्यपालक अभियन्ता श्री राम कुमार लाल द्वारा जमालपुर प्रोटेक्शन कार्य हेतु बेलका कार्य स्थल पर मे०के० बाबुलाल वाणिज्य रांची से 8 लाख 40 हजार रुपया का 84 टन तार की शतप्रतिशत फर्जी आपूर्त्ति कार्य का आदेश के चार दिन के अन्तर्गत ही प्राप्त करने तथा उक्त अनियमित कार्य की जाँच करने वाले निगरानी विभाग के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक के द्वारा सारे मामला को रफा-दफा करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने अपने वृत्त संख्या -8722 दिनांक 31-5-86 द्वारा सिंचाई मंत्री को निदेश दिया है कि यदि मामला प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हो तो आरोपित पदाधिकारी को निलंबित की जाय और विभागीय कार्रवाई की जाय । यदि हाँ तो